कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–38 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. धर्मराज कोरी पुत्र श्यामनगर नि0 खलीलपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं–126/22, 02. शिवराम पुत्र दशरथ लाल नि0 ग्राम मधई पुरवा फरेंदा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–127/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 19.06.2022</u>

थाना करनैलगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मोहर्रम अली उर्फ मल्ही को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहर्रम अली उर्फ मल्ही पुत्र निजामुद्दीन नि0 फकीरपुरवा मौजा भोका थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–243/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद मिस कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 19.06.2022</u>

<u>थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत बसों से अवैध वसूली करने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार–</u>

दिनांक 18.06.2022 को वादी सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा थाना तरबगंज में तहरीर दी गयी कि थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत पदमाकर सिंह उर्फ विक्कू सिंह पुत्र सुधाकर सिंह निवासी दुर्जनपुर घाट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा बस को रोककर अवैध वसूली की जाती है। सूचना पर थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक तरबगंज को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त पदमाकर सिंह उर्फ विक्कू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>
01. पदमाकर उर्फ विक्कू सिंह निवासी दुर्जनपुर घाट टपरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोगः–</u>
01. मु0अ0सं0 210/2022, धारा 384,323,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–211/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीमः–</u>
उ0नि0 संदीप वर्मा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.06.2022

लडकी को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त–अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के भाई द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अजय सिंह पुत्र रामउग्गर सिंह नि0 जगराहनपुरवा मौजा शाहजोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–54/2022 धारा 363,366 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.06.2022

थाना इटियाथोक ने लडकी को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त–मिथुन सिंह उर्फ वीरप्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मिथुन सिंह उर्फ वीरप्रताप सिंह पुत्र पुत्र दद्दन सिंह नि0 ग्राम मध्यनगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–167/2022 धारा 363,366 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 19.06.2022

लूटेरे को अपने घर में संरक्षण देने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर लूट के मुलजिम को अपने घर में संरक्षण देने के आरोपी अभियुक्त रमन सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रमन सोनी पुत्र पारसनाथ सोनी नि0 कन्धरातेजी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–173/2022 धारा 216ए भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 रविप्रकाश यादव मय टीम।